अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर राशमी मुकाम राशमी

हीरालाल पिता कालु बलाई बनाम शंकरलाल पिता कालु जाति बलाई

किस्मा मुकदमा राजस्व वाद नं0 083 सन् 2015

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी हाजीर । तहसीलदार राशमी से प्रस्ताव जरिये पत्रांक 12.10.2021 को प्रेषित किया गया जिसे रेकॉर्ड पर लिया जाता है। अधिवक्ता वादी द्वारा तहसीलदार राशमी से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाकर वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाने का निवेदन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया। मनन किया। तहसीलदार राशमी से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पत्रांक :12.10.2021 को स्वीकार किये जाने से वादी का वाद अंतिम रूप से आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने से वादी का वाद अंतिम रूप से आंशिक स्वीकार किया जाता है। एवं आदेश दिया जाता है कि मौजा मरमी पटवार हल्का मरमी की विवादित आराजीयात आराजी संख्या 1245 रकबा 1.11 बीघा लगान 2.32 रूपया,आराजी संख्या 1378 रकबा 2.19 बीघा लगान 4.43 लगान कुल किता 2 कुल रकबा 4.10 बीघा कुल लगान 6.75 रूपाया का धना पिता जूमला सालवी सा0देह खातेदार,आराजी संख्या 1246 रकबा 1.17 बीघा लगान 2.78 रूपया,आराजी संख्या 1377 रकबा 3.03 बीघा लगान 4.73 रूपया, कुल किता 2 कुल रकबा 5.00 बीघा कुल लगान 7.51 रूपया का शकर,हीरा,सोहन पिता कालू सालवी सा0देह, आराजी संख्या 1247/1 रकबा 1.04 बीघा लगान 1.80 रूपया का शंकर,हीरा,सोहन पिता कालू सालवी सा0देह खातेदार, आराजी संख्या 1247 मी0 रकबा 1.04 बीघा रकबा 1.80 लगान का गांगा पिता जेता सालवी सा0देह खातेदार,आराजी संख्या 1074/2 रकबा 3.01 बीघा लगान 1.47 रूपया का शंकर पिता कालू सालवी सा0देह खातेदार, आराजी नम्बर 1074/1 रकबा 3.01 बीघा लगान 1.47 रूपया का हीरा पिता कालू सालवी सा0देह खातेदार, आराजी संख्या 1073 रकबा 0.07 बीघा लगान 1.61 रूपया, आराजी संख्या 1074 मी0 रकबा 2.14 बीघा लगान 1.31 रूपया कुल किता 2 कुल रकबा 3.01 लगान 2.92 रूपया का श्री सोहन पिता कालू सालवी सा0देह खातेदार आराजी संख्या 1058 मी0 रकबा 0.16 बीघा लगान 0.24 रूपया का शंकर पिता कालू सालवी सा0देह खातेदार, आराजी नम्बर 1058/1 रकबा 0.16 बीघा लगान 0.24 रूपया का हीरा पिता कालू सालवी सा0देह खातेदार, आराजी नम्बर 1058/2 रकबा 0.17 बीघा लगान –का सोहन पिता कालू सालवी सा0देह खातेदार,घोषित किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। तद्नुसार जमाबन्दी में अंकन किये जाकर लगान फाटनी अलग–अलग की जावे। रहन बदस्तुर रखा जावे। शेष आराजीयात का विभाजन सक्षम धारा में कार्यवाही किये जाने पर ही वादी/प्रतिवादीगण को राहत दी जा सकती है, धारा 53 राज0काश्त अधिनियम में नही। खातेदार अधिवक्ता वादी द्वारा नियमानुसार कोर्ट फीस पेश करने पर तद्नुसार पर्चा डिक्री अंतिम जारी हों। पत्रावली की गणना बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भेजी जावे। यह निर्णय खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Govind Singh
Date: 2024.03.29 11:49:05 IST
Reason: SelfAttested